संख्या–274/21–1–2005–1(4)/98

प्रेषक,

बृजमोहन मीना,
सचिव,
भाषा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश।

भाषा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई, 2005**

विषय– सरकारी कार्यों में द्वितीय राजभाषा उर्दू का कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रयोग।

– – – – – –

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–4171/21–89–1–1980, दिनांक 07.10.1989, के अनुक्रम में शासनादेश सं0–4865/21–90–1(2)/90,दिनांक19 नवम्बर,1990 द्वारा सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के प्रयोग को अधिसूचित किया गया जिनमें निम्नलिखित प्रयोजनों का आपके द्वारा कड़ाई से अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी थी :–

1– उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में इनका उत्तर।
2–उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबन्धन कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना।
3–महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन।
4–महत्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन।

(2) उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया था कि इन आदेशों का अनुपालन/प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये। किन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों तथा निगमों/परिषदों के अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों द्वारा त्रैमासिक रूप से सूचना प्रेषित नहीं की

जा रही है। केवल पुलिस विभाग से कतिपय त्रैमासिक रूप से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों से निम्न विवरण के अनुसार सूचनाएं एकत्रित करके शासन को त्रैमासिक रूप से प्रेषित करने की कार्यवाही करें :–

प्रारूप

1	2	3	4	5	6	7
क्र0	जनपद	उर्दू में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	उर्दू में उनका दिया गया उत्तर	उर्दू में लिखित दस्तावेजों के पंजीकृत करने की संख्या	महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में प्रकाशनों की संख्या	महत्पूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन करने की संख्या

भवदीय,
बृजमोहन मीना
सचिव।

संख्या–274 (1)/21–1–2005–1(4)/98–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव।
(4) निबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ
(5) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद,
(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
(7) सचिव,अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,उत्तर प्रदेश लखनऊ
(8) समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय से कि वे अपने जनपद के समस्त कार्यालयों का विवरण एकत्रित करवा कर मण्डलायुक्त को उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें ताकि उनके विवरण को संकलित कर भाषा विभाग को प्रेषित किया जा सके।

आज्ञा से,
बृजमोहन मीना
सचिव।